संख्या:- 1-40014/06/2016/रा.भा.- 167

महानिदेशालय, भा.ति.सी.पुलिस

गृह मंत्रालय/भारत सरकार

खण्ड-2 के.से. कार्यालय परिसर, लोधी रोड

नई दिल्ली-110003

दिनांक 08/05/19

कार्यालय ज्ञापन

प्राय: देखने में आ रहा है कि बल की अधिकतम इकाइयों द्वारा राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न योजनाओं/क्रियाकलापों जैसे संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण, प्रोत्साहन योजनाओं, हिंदी कार्यशाला, हिंदी पखवाडा इत्यादि में व्यय होने वाली धनराशि को किस लेखाशीर्ष से समायोजित किया जाना है, के संबंध में संबंधित कार्यालयाध्यक्ष को स्थिति स्पष्ट नहीं हो पा रही है परिणामस्वरूप बल की अनेक इकाइयों द्वारा बार बार महानिदेशालय से पत्राचार किया जा रहा है। इसलिए इस संबंध में बल की समस्त इकाइयों को आन्तरिक वित्त सलाहकार की सहमति से पुन: विस्तृत दिशा निदेश जारी किए जा रहे हैं जो कि निम्नवत है:-

(क) **संसदीय राजभाषा समिति निरीक्षण:-** डी0एफ0पी0आर0 में परिभाषित आब्जेक्ट हैड की परिभाषा के अनुसार संसदीय राजभाषा समिति के राजभाषा संबंधी निरीक्षण में हुए खर्च का वहन ओ0ए0ई0 (Other Administrative Expenses) या ओ0सी0 (Other Charges) लेखा शीर्ष से वहन किया जाना अपेक्षित है ।

(ख) **हिंदी कार्यशाला:-** भारत सरकार की राजभाषा नीति के कार्यान्वयन हेतु बल के कार्यालयों में आयोजित की जाने वाली प्रत्येक कार्यशाला के व्याख्याताओं को दिए जाने वाला मानदेय लेखा शीर्ष वेतन (Salary) से वहन किया जाएगा । राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं0 12019/81/2015 –रा0भा0 (का0-2) पार्ट-2 दिनांक 16.06.16 के तहत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रति व्याख्याता को रू0 5000/- का मानदेय प्रदान किया जा सकता है। इस संबंध में यह भी अवगत कराना है कि आ0वि0अनु0 महानिदेशालय के कार्यालय आदेश सं0 500 दिनांक 05.05.16 (वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन) के तहत व्याख्याताओं को प्रत्येक वित्तीय वर्ष में रू0 2500/- का मानदेय संबंधित फ्रंटियर मुख्यालय के महानिरीक्षक द्वारा आंतरिक वित्त सलाहकार, महानिदेशालय की सहमति के उपरान्त स्वीकृत किया जाएगा तथा शेष 2500/- की धनराशि आंतरिक वित्त अनुभाग, महानिदेशालय के माध्यम से गृह मंत्रालय को स्वीकृति हेतु प्रेषित की जाएगी।

(ग) **हिंदी प्रोत्साहन योजना:-** वित्त वर्ष के दौरान सरकारी कामकाज (टिप्पण एवं आलेखन) मूल रूप से हिंदी में करने तथा अधिकारियों को अधिकाधिक डिक्टेशन हिंदी में देने के लिए लागू प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत होने वाले व्यय लेखाशीर्ष O.C. (Misc) /अन्य प्रभार (विविध) से किया जाएगा ।

(घ) **हिंदी पखवाड़ा:-** भा0ति0सी0पु0 बल के कार्यालयों में केंद्र सरकार के मंत्रालयों/विभागों/कार्यालयों की तरह सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग के प्रति जागरूकता पैदा करने उसके प्रयोग को उत्तरोत्तर बढ़ाने तथा हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी दिवस/सप्ताह/पखवाड़ा मनाए जाने के दौरान राजभाषा हिंदी संबंधी विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। बल में प्रत्येक वर्ष आयोजित किए जाने वाले हिंदी पखवाड़ा में होने वाले व्यय अन्य प्रभार (वोटड) गैर-योजना से किया जाना अपेक्षित है ।

उप सेनानी (आई0टी0)/Dy. Comdt.(IT Cell)
डायरी सं0/Dairy No. 1812
दिनांक/Date 9/5/19

SO (EDP)

लगातार -2/-

(ङ) **नराकास की सदस्यता:-** नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की वार्षिक सदस्यता शुल्क लेखा शीर्ष ओ0सी0 (वोटेड) एन0पी0 से वहन किया जाना अपेक्षित है ।

(च) **अन्य निरीक्षण:-** राजभाषा हिंदी में शासकीय कार्यों को बढ़ावा देने से संबंधित कार्य कार्यालयीन कार्यों के अंग है इसलिए जिस प्रकार मंत्रालय/विभाग/कार्यालय/उपक्रम आदि द्वारा अन्य कार्यालयीन कार्यों के लिए खर्च की व्यवस्था की जाती है उसी प्रकार हिंदी से संबंधित अन्य निरीक्षणों जैसे गृह मंत्रालय, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति इत्यादि द्वारा किए गए निरीक्षणों में खर्च की व्यवस्था लेखाशीर्ष O.C. (Misc) /अन्य प्रभार (विविध) से किया जाएगा ।

2. अतः भविष्य में राजभाषा हिंदी से संबंधित विभिन्न योजनाओं/क्रियाकलापों में व्यय होने वाली धनराशि को उपर्युक्तानुसार लेखा शीर्ष से वहन करना सुनिश्चित करें।

3. यह आंतरिक वित्त सलाहकार, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु.बल की सहमति के उपरांत जारी किया जा रहा है।

(मृत्युंजय कुमार)
उप महानिरीक्षक (संगठन एवं कल्याण)
महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल

सेवा में,

1. समस्त फ्रंटियर मुख्यालय/प्रशिक्षण परिक्षेत्र/क्षेत्रीय मुख्यालय(लवक) भा.ति.सी.पु. बल को कृपया इस आशय से कि इसे अपने अधीन समस्त कार्यालयों में प्रचालित करवाएं ।
2. आधार/रैफरल चिकित्सालय, दिल्ली, भा0ति0सी0पु0 बल अकादमी, तथा के0अभि0 कार्यालय, आर0के0पुरम, नई दिल्ली, भा.ति.सी.पु. बल ।
3. आंतरिक वित्त अनुभाग/ प्रशासन अनुभाग/महानिदेशालय भंडार/लेखा शाखा, महानिदेशालय, भा.ति.सी.पु. बल को सूचनार्थ।
4. उप सेनानी, आई0टी0 सैल को इस आशय से कि इसे बल की वैबसाइट में विद्यमान राजभाषा फोल्डर में प्राथमिकता के आधार पर अपलोड करवाएं।
5. गार्ड मिसिल।